

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 100/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

गोरधनराम वगैरा बनाम सुरताराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील - श्री फताराम गोदारा

निर्णय

दिनांक - 25.05.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प बीजराड़ में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थी सं. 1,2,9,13 उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा बीजराड़, पटवार क्षेत्र बीजराड़, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 1497/209 रकबा 215.04 बीघा, खसरा सं. 1498/218 रकबा 21.15 बीघा, खसरा सं. 1499/218 रकबा 40.08 बीघा, खसरा सं. 1500/790 रकबा 05.02 बीघा, खसरा सं. 1232/790 रकबा 33.06 बीघा, कुल रकबा 315.15 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा बीजराड़, पटवार क्षेत्र बीजराड़, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 1497/209 रकबा 215.04 बीघा, खसरा सं. 1498/218 रकबा 21.15 बीघा, खसरा सं. 1499/218 रकबा 40.08 बीघा, खसरा सं. 1500/790 रकबा 05.02 बीघा, खसरा सं. 1232/790 रकबा 33.06 बीघा, कुल रकबा 315.15 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसराओं की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प बीजराड़ में सुनाया गया।



(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/
प्रार्थीगण :-

1. गोरधनराम 2. तिलोकाराम पि. कोहलाराम
जाति जाट, निवासी बीजराड़
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

दिनांक 31.5.18
विप्रार्थीगण:-

1. सुरताराम पुत्र पुरखाराम
एवं विप्रार्थी सं. 2 से 48, जाति जाट
49. देवाराम पुत्र पुरखाराम
एवं विप्रार्थी सं. 50 से 53 जाति सुनार
54. हमीराराम 55. टीलाराम पि. पारूराम
56. टीलाराम पुत्र केवाराम जाति मेघवाल
निवासी बीजराड़, तहसील चौहटन
57. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 100/18

दिनांक : 25.05.2018

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन के मौजा बीजराड़, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के खेत खसरा सं. 1497/209 रकबा 215.04 बीघा, खसरा सं. 1498/218 रकबा 21.15 बीघा, खसरा सं. 1499/218 रकबा 40.08 बीघा, खसरा सं. 1500/790 रकबा 05.02 बीघा, खसरा सं. 1232/790 रकबा 33.06 बीघा, कुल रकबा 315.15 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

कमिश्नर फीश प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कठाराघात न हों। प्रार्थी कमिश्नर को कमिश्नर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2018/
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण गोरधनराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण सुरताराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेडवा/धौरीमन्ना/बाखासर

दिनांक 31.5.18

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन